

विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय क्रय के अन्तर्गत माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु पुस्तकें क्रय की जानी है । इच्छुक प्रकाशकों के द्वारा पुस्तकों की एक-एक प्रति निःशुल्क दिनांक 07-10-2009 तक उपनिदेशक, समाज शिक्षा कार्यालय परिसर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को वाहक स्तर पर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा अपने व्यय पर भिजवावें । रेल्वे/ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्रेषित पुस्तकें स्वीकार नहीं की जावेगी । पुस्तक क्रय की अन्य शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. वर्ष 2006 अथवा उसके पश्चात प्रकाशित पुस्तकें ही क्रय की जायेगी ।
2. पुस्तकें में संस्करण (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।
3. संस्करण वर्ष तथा पुस्तक का मुल्य पुस्तक के अन्दर मुद्रित होना चाहिए अन्यथा पुस्तकें स्वीकार नहीं की जावेगी ।
4. यदि प्रकाशक पुरानी पुस्तक का नया नाम, प्रकाशन वर्ष, मुल्य परिवर्तित कर पुस्तकों को केन्द्रीय क्रय के अन्तर्गत प्रेषित करेंगे तो उसे क्रय नहीं किया जायेगा तथा इसे आपराधिक कृत्य माना जाकर प्रकाशक से भविष्य में कभी भी पुस्तकें क्रय नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है ।
5. पुस्तक का प्रकाशन उच्च कोटि (न्यूनतम 70 जी.एस.एम.) के कागज पर हो तथा पुस्तक का शीर्षक पृष्ठ पुस्तकों के साथ संलग्न होना चाहिए ।
6. प्रकाशक पुस्तक/पुस्तकें अपने-अपने अग्रेषण पत्र संलग्न प्रपत्र के साथ प्रेषित करेंगे । नियम समय व तिथी के पश्चात प्राप्त होने पर प्रकाशक से पुस्तकें क्रय करने पर विचार नहीं किया जायेगा ।
7. जिन पुस्तकों का क्रय किया जायेगा उन पर निम्नानुसार न्यूनतम छूट देनी होगी :-

|   |                             |            |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 1 से 10 प्रतियों के लिए     | 10 प्रतिशत |
| 2 | 11 से 25 प्रतियों के लिए    | 15 प्रतिशत |
| 3 | 26 से 100 प्रतियों के लिए   | 20 प्रतिशत |
| 4 | 101 से 200 प्रतियों के लिए  | 25 प्रतिशत |
| 5 | 201 से 500 प्रतियों के लिए  | 30 प्रतिशत |
| 6 | 501 से अधिक प्रतियों के लिए | 35 प्रतिशत |

8. नमूने के रूप में प्रेषित पुस्तकें प्रकाशकों को लौटाई नहीं जावेगी । पूर्व में चयनित / क्रय की गई पुस्तकें प्रेषित नहीं करें ।

9. पुस्तकों की सप्लाई नमूने की प्रतियों के अनुरूप ही विषय,कागज,पृष्ठ, प्रकाशक वर्ष,शीर्षक,मुल्य,चित्र एवं भाग के अनुरूप होनी चाहिए ।
10. पुस्तक का कुल क्य मुल्य छूट के उपरान्त डिमाई साईज में 1 रू. प्रति पृष्ठ से अधिक नहीं होना चाहिए । यदि यह अंकित मुल्य इस अनुरूप नहीं है तो उसे इस सीमा तक अतिरिक्त छूट देनी होगी ।
11. क्य में लाइब्रेरी एडीशन के अतिरिक्त पेपर बेक एडीशन भी मान्य होगा बशर्ते वह लेमिनेटेड हो तथा उसकी कीमत लाइब्रेरी एडीशन की तुलना में पर्याप्त कम हो ।
12. क्यदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में यदि कोई प्रकाशक क्य आदेश के अनुसार पूर्ण या उसके किसी भाग की पालना करने में असफल रहता हे तो प्रकाशक से नियमानुसार परिनिर्धारित नुकसान (लिक्विडिटी डैमेज) वसूल किया जावेगा ।
13. विभाग न्यूनतम मुल्य वाली पुस्तकें क्य करने हेतु बाध्य नहीं होगा । किसी पुस्तक को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने व प्रतियों में कमी/वृद्धि करने का अधिकार निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर को होगा ।
14. सभी प्रकाशक पुस्तकें प्रेषित करने वाले प्रपत्र में ही यह प्रमाण पत्र देंगे कि पुस्तक प्रकाशन से पूर्व पुस्तक में प्रकाशित सामग्री के गुणावगुणों की समीक्षा करने के उपरान्त ही पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है ।
15. पुस्तक चयन में ज्ञानात्मक व प्रबोधात्मक साहित्य प्रमुख आधार होगा । परिकल्पनात्मक साहित्य में केवल उन्हीं की विचार किया जायेगा जिनका तद्विषयक साहित्यिक इतिहास में महत्वपूर्ण उल्लेख हो या इसके कम से कम पूर्व में दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हों ।

### प्रपत्र

| क्र. स. | पुस्तक का नाम | लेखक का नाम | प्रकाशक का नाम व पता | मूल्य | संस्करण | प्रकाशन वर्ष | पुस्तक की पृष्ठ संख्या | दूरभाष संख्या मोबाइल नं. | विशेष विवरण |
|---------|---------------|-------------|----------------------|-------|---------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 1       | 2             | 3           | 4                    | 5     | 6       | 7            | 8                      | 9                        | 10          |

16. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर क्षेत्राधिकार बीकानेर शहर में स्थित न्यायालयों का होगा ।

ह0  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर